न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पील संख्या : 16/371

1. भंवर लाल पुत्र कंवरा उम्र 64 वर्ष जाति मीणा ।
2. हेमराज पुत्र भंवर लाल ।
3. महावीर पुत्र भंवर लाल ।
4. भोलाशंकर पुत्र भंवर लाल ।
5. मेहन पुत्र कंवरा ।
6. बाबू पुत्र मोहन
7. मोरपाल पुत्र घनश्याम जाति मीणा निवासीगण ग्राम गुजरिया खेडा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. काली बाई पत्नी प्रहलाद उम्र 46 वर्ष जाति मीणा निवासी गुजरिया का खेडा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. कालूलाल पुत्र मोहन मीणा ।
3. जन्सी लाल पुत्र मोहन मीणा ।
4. गिरिराज पुत्र गोपाल मीणा ।
5. शौराज पुत्र गोपाल मीणा जाति मीणा निवासीगण ग्राम गुजरिया खेडा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री महेश योगी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री मुकेश कुमार मीणा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 06.10.2017

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.05.2016 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट कम 1 काली बाई ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 एवं 92 (क) के अन्तर्गत ग्राम गुजरिया खेडा तहसील नैनवा जिला बून्दी की आराजी खसरा नम्बर 722/200 रकबा 05 बीघा 06 बिस्वा एवं खसरा संख्या 652/205 रकबा 05 बीघा कुल किता 02 कुल रकबा 10 बीघा 06 बिस्वा भूमि

के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत किया और कथन किया कि उक्त भूमि वादी के खातेदारी में दर्ज है । इसी प्रकार अन्य आराजी खसरा नम्बर 598/206 रकबा 10 बीघा स्थित है जिसमें वादी 02 बीघा 04 बिस्वा भूमि की खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है । वादी की उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण जबरन ताकत के बल पर कब्जा करने पर आमदा है जिसका उन्हें कोई विधिक अधिकार नहीं है ।

3. अतः प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह वादी को उसके कब्जे काश्त की आराजी से जबरन बेदखल नहीं करे व वादी के कब्जे काश्त व उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत प्रकरण को पक्षकारान की सहमति से राजस्व लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एंव डिक्री दिनांक 08.06.2016 के द्वारा वादी का वाद डिक्री कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.06.2016 से व्यथित होकर प्रतिवादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त करने का निवेदन किया ।

6. अपीलान्ट ने अपील मीमो के साथ भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 05 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में उक्त वाद वास्ते जवाब में चल रहा था जिसमें आगामी तारीख पेशी दिनांक 20.05.2016 अंकित थी परन्तु दिनांक 18.05.2016 को ही बिना सूचना के लोक अदालत में रखते हुए निर्णय कर दिया जिसकी अपीलान्ट को समय पर जानकारी प्राप्त नहीं हुई । उक्त निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 25.07.2016 को हुई जिस पर उक्त निर्णय की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. रेस्पोडेन्ट ने न्यायालय हाजा में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रस्तुत प्रकरण के निस्तारण हेतु उक्त दस्तावेज आवश्यक है जिन्हें न्यायहित में रिकॉर्ड पर लिया जाना आवश्यक है । उक्त दस्तावेज प्रस्तुत प्रकरण के निस्तारण में महत्वपूर्ण हैं । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त दस्तावेजता को रिकॉर्ड पर लिये जाने का आदेश पारित किया जावे ।

8. हमने उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया एवं प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया । उक्त दस्तावेज प्रमाणित प्रतिलिपियॉ हैं और राजकीय दस्तावेज हैं जिन्हें न्यायहित में रिकॉर्ड पर लिया जा सकता है । अपीलान्ट द्वारा भी उक्त प्रार्थना पत्र का किसी प्रकार का कोई खण्डन नहीं किया है । अतः रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी स्वीकार किया जाकर उक्त प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

9. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

10. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय लोक अदालत की भावना को ध्यान में रखे बिना ही पारित कर दिया जो निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा दिशा निर्देशों व नोटिफिकेशन की पूर्ण तथा अवहेलना करते हुए उक्त निर्णय पारित किया है जो निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय में उक्त वाद वास्ते जवाब में चल रहा था जिसमें आगामी

अभिभाषकता स्वीकार

तारीख पेशी दिनांक 20.05.2016 अंकित थी परन्तु दिनांक 18.05.2016 को ही बिना सूचना के लोक अदालत में रखते हुए निर्णय कर दिया जिसकी अपीलान्ट को समय पर जानकारी प्राप्त नहीं हुई । उक्त निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 25.07.2016 को हुई जिस पर उक्त निर्णय की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य करते हुए अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.05.2016 निरस्त फरमाया जावे ।

11. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी लिखित बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है वह पक्षकारान में सहमति के आधार पर राजस्व लोक अदालत की भावना से राजीनामा के आधार पर की है । प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट ने जबरन ताकत के बल कब्जा करने का प्रयास किया है इस सम्बन्ध में वादी व उसके पति ने पुलिस थाना देई में प्रथमसूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई थी । प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट क्रम 2 से 6 एवं रेस्पोडेन्ट क्रम 1 के मध्य यह राजीनामा तय हुआ कि दोनों पक्षकार आपसी सहमति से उक्त आराजी पर सीमाज्ञान एवं तरमीम करवाएगें और अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत की भावना से दोनों पक्षकारों की सहमति एवं उपस्थिति में उक्त निर्णय पारित किया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री बहाल रखी जावे ।

12. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । सर्वप्रथम हमने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । उक्त प्रार्थना पत्र में अपीलान्ट द्वारा विलम्ब के जो कारण दर्शित किये हैं वह उचित प्रतीत होते हैं । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

13. प्रस्तुत प्रकरण में वादी रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 एवं 92 (क) के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत किया जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारान की सहमति के आधार पर राजस्व लोक अदालत में रखते हुए निर्णित कर दिया । प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट सहमत नहीं और न ही उसने अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरण को राजस्व लोक अदालत में रखने की स्वीकृति दी । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं ।

14. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.05.2016 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान दिनांक 22.11.2017 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

15. निर्णय आज दिनांक 06.10.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

आवश्यकता स्वीकार